(8)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुड़ी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 172/2022

यशपाल व्यास पुत्र श्री मुरारीलाल व्यास, निवासी वार्ड नं0 5, अजीतगढ, ग्रा0पो0 अजीतगढ, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333701, मो0न0 7737500155

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 06.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 172/2022 पर दिनांक 18.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2225—26 दिनांक 18.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई/प्रथम अपील/2022/683—84 दिनांक 30.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक श्री यशपाल व्यास ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.04.2022 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र आरटीआई पोर्टल पर सबमिट किया गया था जिसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध मे सूचना चाही गई है। बिन्दू संख्या 1 मे वर्णित आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2022/677—78 दिनांक 23.05.2022 द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है जिसकी प्रति सलंग्न प्रेषित है तथा आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन भी सूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के अन्तर्गत वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक आर0टी0आई/प्रथम अपील/2022/683—84 दिनांक 30.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक श्री यशपाल व्यास ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.04.2022 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र आरटीआई पोर्टल पर सबमिट किया गया था जिसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध मे सूचना चाही गई है। बिन्दू संख्या 1 मे वर्णित आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2022/677—78 दिनांक 23.05.2022 द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन भी सूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के अन्तर्गत वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.15 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं